HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] No. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2000/भाद्र 31, 1922

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2000/BHADRA 31, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 737(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और 'घ' समूह पद-सुरक्षा) भर्ती नियम, 1991 और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और 'घ' समूह पद) भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय, आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

	वर्गीकरण वे	वेतनमान	चयन-सह- ज्येष्डता या योग्यता के आधार पर चयन	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा में जोड़े गए वर्षों का आयु-सीमा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन
ď			अथवा अचयन पद	ď	है या नहीं
साधारण केन्द्रीय	İ	5000-150-	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच	लागू नहीं होता
(2000) सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय यंभार आधार परिवर्तन ता है	0008	8000/ - ক.	,	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जनजातियों के अम्पूचित जनजातियों के अम्पूचित जनजातियों के अम्पूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अम्पूचियों की बाबत 30 वर्ष (तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती हैं।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अम्पूर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-	
				जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।			10	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष											•				
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आयु और शैक्षिक अहत्तीएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	लागू होंगी या नहीं ।	6	आयुः नहीं	शैक्षिक अहंताए: हां														
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	शैक्षिक और अन्य अहतीएं		8	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	डिग्री या समतुल्य ।	(ii) शब्द संसाधन का ज्ञान और	(iii) जिनके पास अंग्रेजी टाइपलेखन में 30	शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी टाइपलेखन में	25 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति है।	टिप्पण:- ऐसा शारीरिक रूप से असुविधाग्रसत	व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए	अन्यथा अर्हित है किन्तु जिनके पास टाइपलेखन	में उक्त अर्हता नहीं है इस शर्त के अध्यधीन	नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त	व्यक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग से संलग्न	चिकित्सा बोर्ड या कोई सिविल सर्जन यह	प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त	व्यक्ति टाइपलेखन की स्थिति में नहीं है।	

मर्ती की पद्धति : मर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रिणयां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा किया जाएगा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिभातता
प्रोन्नित :- 4000-6000 रू० के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आट वर्ष नियमित सेवा की है और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं।
प्रतिनियुक्तिः- केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकाशः-
(क) (i) (ii)
(iii)
आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (उन) क्लिक्ट गाम मीथे धर्म किए जबने तस्त्रे साक्षित्र) के किए से भिटिन भेषिक और
(ख) जिनक पास सार अन्य अहेताएं हैं ।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग
म इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रातिनियुक्ति की अवाध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग
		से परामर्श किया जाएगा
	13	14
समृह	ंग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)	लागू नहीं होता
-	1. विकास आयुक्त, मद्रास	
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	
7	उप विकास आयुक्त, मद्रास	
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	
છ	प्रशासनिक अधिकारी,	
	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	

	_				==		1111	\equiv	AZ	
	r									
2	लागू नहीं होता									
9	लागू नहीं होता									
u)	चयन-सह-	ज्येष्टता								
4	5000-150-	8000/- 쨘.								
3	साघारण केन्द्रीय	सेवा, समूह'ग',	अराजपत्रित,	अनुसचिवीय)					
2	2* (2000)				*कार्यभार	के आधार	पर परिवर्तन	किया जा	सकता है	
1	2. ज्येष्ठ	आश्रुलिपिक		· •						

OF	, 19	લાંગું નદા દાતા
0		લાંદ્રું ગઇ દાવા
0	0	લાયુ નદા દાવા

	
7	12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
9	28 वष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 31वर्ष तक और अनुसूचित जनजातियों के अम्पूर्यित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 33 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
5	त्राज्य नहां होता
4	4500-125- 7000/- 전.
	साधारण कन्द्राय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय अनुसचिवीय
2	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
-	3. कानक हिन्दा 1* (2000) अनुवादक *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है *

10	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष				
6	लागू नहीं होता				•
8	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी मे मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में रहा हो ।	(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें अनुदेश और परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में रही हो	;या (ग) बेचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में रहे हो या इन दोनों में से कोई एका विषय परीक्षा माध्यम रहा हो और अन्य विषय मुख्य विषय के रूप में रहा हो और हिन्दी से	अप्रजा था अप्रजा प हिन्दा न अपुपाद प्रा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठयक्रम या केन्दीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतगर्त भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंप्रजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का 2 वर्ष	का अनुभव । (घ) शब्द संसाधन और हिन्दी साफटवेयर के प्रयोग का ज्ञान ।

प्रकर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अ सीधी भर्ती द्वारा । (क) (i) नियमित आ की है; या (ख) जिनके पास सीध भर्ती वि अन्य अर्हताएं है । (प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले साधारणतया तीन वर्ष से अधिव	प्रतिनियुक्त - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर सद्श पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000-6000/- रु० के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) 3050-4590/- रु० के वेतनमान वाले पदों पर उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में यथा अधिकाशित शैक्षिक और अन्य अहंताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गम केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

																•				
7	लागू नहीं होता																			
9	18 और 25 वर्ष के बीच	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए	गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गी	की बाबत शिथिल करके 28वर्ष तक और	अनुस्र्चित जातियों/अनुस्र्चित जनजातियों के	अभ्यर्थियों की बाबत 30वर्ष तक (सरकारी	सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की	जा सकती है ।)	टिप्पण : आयू-सीमा अवधारित करने के लिए	निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम	तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-	जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	
5	लागू नहीं होता																			
4	4000-100-	6000/- 쨘.						···											<u> </u>	
3		सेवा, समूह 'ग',	अराजपत्रित,	अनुसचिवीय																
2	5* (2000)			,	*कायभार	के आधार	पर परिवर्तन	किया जा	सकता है											
1	4. कनिष्ठ	आशुलिपिक									_					- 1				

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गम केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(ग) शब्द संसाधन का ज्ञान ।

10	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	12 प्रोन्नति:- 3050-4590 रु0 के वेतनमान में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं।	धीन ऐसे अधिकारी:- नेयमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या जिन्होंने 3050-4590/- रु० के वेतनमान वाले ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष ी है और जिनकी 80 शब्द प्रतिमिनट की गति है। आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट, अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है। और
6	आयुः नहीं स्द	12 प्रोन्नति:- 3050-4590 रु० के वेतनमान में ऐसे विभागीय अवर नियमित सेवा की है और जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्र और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं।	प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3050-4590/- रुठ के वेतनमान वाले ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी नियमित सेवा की है और जिनकी 80 शब्द प्रतिमिनट की गति है। (ख) जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट, अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है। और
8	(i) सैकेंद्री स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुत्य। (ii) अंग्रेजी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रतिमिनट और अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति। (iii) शब्द संसाधन का ज्ञान।	11 60प्रतिशत प्रोन्नि द्वारा और 40 प्रोन्नि प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा दोनों नियि के न हो सकने पर कर्मचारी चयन और १	D 1 10

	13		14
समृह	'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)	संबंध में)	लागू नहीं होता
 	1. उप विकास आयुक्त, मद्रास		
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	अध्यक्ष	
2.	प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास		
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य	
ю. Э	सहायक विकास आयुक्त,		
	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य	

	लागू नहीं होता
9	लागू नहीं होता
5	चयन-सह- ज्येष्टता
4	4000-100- 6000/- 쨘.
3	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय
2	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा
-	S. उच्च श्रेणी लिपिक

10	लागू नहीं होता
6	लागू नहीं होता
8	लागू नहीं होता

द्वारा	12	प्रोन्नतिः- 3050-4590 रु० के वेतनमान में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनको शब्द संसाधन का ज्ञान है।	
` 传 	11		

	. 13		14
समृह	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित व	प्रोन्नित के संबंध में)	लागू नहीं होता
1.	उप विकास आयुक्त, मद्रास		
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	अध्यक्ष	
2.	प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास		
	निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य	
ن	सहायक विकास आयुक्त,		
	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य	

7	तागू नहीं होता
9	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 30 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकें के लिए मी) टिप्पण:- प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों/राज्य के सैनिक कत्याण कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
5	लागू नहीं होता
4	4000-100- 6000/- 짜.
3	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2	4* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
-	 प्रधान सुरक्षा गारद

8	6	10
आवश्यकः-	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की दशा
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट या		में दो वर्ष
समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या ऐसे भूतपूर्व सैनिक		
जिन्होंने कम से कम आठवां स्तर उत्तीर्ण किया हो ।		
न्यूनतम शाशीरिक मानः-		
पुरुष:- (क) उंचाई : 165 सेमी.		
(ख) सीना : न्यूनतम 78.75 सेमी		
फुलाकर 83.75 सेमी.		
(ग) भार : 50 किग्रा.		
(घ) दृष्टि : चश्मों के साथ या बिना पहने हुए		
सामान्य हो।		
महिलाएं (क) उंचाई : 153 सेमी.		
(ख) सीना : लागू नहीं		
(ग) भार : लागू नहीं		
(घ) दृष्टि : चश्मों के साथ या उसके बिना		
सामान्य ।		
टिप्पण:- अभ्यर्थियों के अंतर्जानु और सपाट पैर नहीं होने		
बाहिए ।		
वांछनीयः- अग्निशमन संक्रियाओं में अनुभव ।		

12	हो सकने पर प्रोन्नित:- ऐसे विभागीय सुरक्षा प्रमुख्य जिन्होंने उस श्रेणी में 16 वर्ष नियमित सेवा की है। यानगों सैनिक	कत्याण कत्याण कार्यालयों के माध्यम प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजनः-सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक	१ साथा भता द्वारा । उन्मार सेटिस्ट के टिस्ट, मनिटिमस्टिम् स्मिन्से पास समंग्र 8 में निटिम अपेक्षित अनमत और अर्दनाएं हैं । ऐसे लिसिस्पी की उस सरीख ने	प्रातिनियुक्तति के निबंधनों पर स्खा जाएगा जिस तारीख से उनहें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया	जाना है; तत्पश्चात् उन्हें युनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।
	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर राज्य के रोजगार कार्यालयों सैनिक	कल्याण कल्याण कार्यालयों के मार	स साथा भता द्वारा । गुनाई सेटिन्हें के टिगाः मिटिनिगरि	पुतरियोजन पुनरियोजन	

14	लागू नहीं होता				
13	4	अध्यक्ष	सदस्य	न	
	समूह 'ग' विमागीय प्रोन्नित समिति 1. उप विकास आयुक्त, मद्रास	निर्यात प्रसंस्करण जोन २ प्रशासनिक अधिकारी महास		3. सुब्सा अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	

7	लागू नहीं होता		,																	
9	18 और 25 वर्ष के बीच	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए	गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य	पिछड़े वर्गो की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष	तक और अनुस्चित जातियों/अनुस्चित	जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष	तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके	40 वर्ष तक की जा सकती है।)	टिप्पण : आयू-सीमा अवधारित करने के लिए	निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियो से	आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम	तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल	प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-	जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	
5	लागू नहीं होता																			
4	3050-75-	3950-80-	4590/- 편.																	
8	साधारण केन्द्रीय	सेवा, समूह 'ग',	अराजपत्रित,	अनुसचिवीय)															
2	5* (2000)			1	*कार्यभार	के आधार	पर परिवर्तन	किया जा	सकता है	-										
-	7. अवर श्रेणी	लिपिक																<u>.</u>		

(i) सैकेन्ड्री विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या	नहीं .	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए
इसके समतुत्य ।		दो वर्ष
(ii) जिनकी अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
प्रतिमिनट की गति है ।		,
(iii) शब्द संसाधन का ज्ञान।		
टिप्पणः- ऐसा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो		
लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित किन्तु		
जिसके पास टाइपलेखन में अर्हता नहीं है इस शर्त के		
अध्यधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त		
व्यक्ति के लिए विशेष रीजगार कार्यालय से संलग्न		
चिकित्सा बोर्ड या सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देते हैं		
कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण करने की उपयुक्त		
अवस्था में नहीं है।		

12	80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के प्रोन्नतिः- निम्निलिखित शतौं के अधीन विभागीय डुप्लिकेटिंग प्रचालक और चपरासियों (समूह माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 20 'घ') में से प्रोन्नित द्वारा । (क) चयन, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए संचालित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अहंताएं पूरी करते हैं । (ख) विभागीय परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्यर्थियों के लिए 45 वर्ष । (ग) डुप्लीकेटिंग प्रचालक और चपरासी के पदों पर 8 वर्ष की सिम्मिलित नियमित सेवा आवश्यक हैं ।
11	80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीघी भर्ती द्वारा और 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

भारत का र	तजपत्र	असाधारण	
			·
	14	लागू नहीं होता	
		अध्यक्ष सदस्य सदस्य	
	13	समूह गा विमागाय प्रान्तात सामात उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 3. सहायक विकास आयुक्त मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	
		3. S1 444 3. S1	

	लागू नहीं होता																			
9	18 और 25 वर्ष के बीच	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए	गए अनुदेशो या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गो	की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के	अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी	सेवको के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की	जा सकती है ।)	टिप्पण : आयू-सीमा अवधारित करने के लिए	निर्णायक तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से	आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम	तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-	जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	
5	लागू नहीं होता																			
4	3050-75-	3950-80-	4590/- ফ.											-						•
က	साधारण केन्द्रीय	सेवा, समूह 'ग',	अराजपत्रित,	अनुसचिवीय)															
2	1* (2000)				*कार्यभार	के आधार	पर परिवर्तन	किया जा	सकता है											
-	8. हिन्दी टंकक			_																

80		S	. 10
(i) सैकेन्ड्री विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र इसके समतुत्य । (ii) जिनकी हिन्दी टाइपलेखन में 25 शब्द प्रतिषि की गति है। (iii) शब्द संसाधन का ज्ञान ।	र्म प्रमाणपत्र या शब्द प्रतिमिनट	आयु : नहीं श्रीक्षिक अहंता : हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियो के लिए दो वर्ष
		12	
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीघी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर		प्रोन्नति निम्नितिखित शर्तों के अधीन विभागीय दुप्तिकेटिंग प्रचालक और चपरासियों (समूह 'च') में से पोन्नित टाग्र	: चपरासियों (समूह
प्रोन्नति द्वारा ।	(क) म. विस्	न स्ट्रम् समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए संचालित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो स्तंभ (8) नेर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं ।	क्षा के माध्यम से किया जाएगा जो स्तंभ (8)
	(ख) विभागीय परीष्ट लिए 45 वर्ष ।	(ख) विभागीय परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष ।	त जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के
	(ग) डुप्लीकेटिंग प्रच	डुप्लीकेटिंग प्रचालक और वपरासी के पदों पर 8 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा आवश्यक है ।	नेयमित सेवा आवश्यक है ।

14	लागू नहीं होता				*
		अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	
13	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	उप ।वकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	
	影	-:	5.	_.	

2	लागू नहीं होता			~~~						
9	लागू नहीं होता									
5	लागू नहीं होता									
4	2650-65-	3300-70-	4000/- 쨘							
3	साधारण केन्द्रीय	सेवा, समूह 'घ',	अराजपत्रित,	अनसचिवीय	?					
2	1* (2000)				*कार्यभार	के आधार	पर परिवर्तन	किया जा	सकता है	
1	9. डुप्लीकेटिंग	प्रचालक								

	Γ	.	
10	लागू नहीं होता		
6	लागू नहीं होता		
8	लागू नहीं होता		

12	प्रोन्नित:- 2550-3200 के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिनके पास डुप्लिकेटिंग मशीन, इलैक्ट्रानिक स्टेंसिल, कटर, फोटो कापियर, फैक्स मशीन के स्खरखाव में प्रवीणता है और अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता रखते हैं ।	
11	प्रोन्नति द्वारा	

Or	111	וטו		===	IRA		יש	INA.	 ===
41		लागू नहीं होता					,		
13		समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)	1. उप विकास आयुक्त,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	2. प्रशासनिक अधिकारी,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	3. सहायक विकास आयुक्त,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	

1	ार्थ क्षेत्र है। जार्थ क्षेत्र है।
9	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समग समय जारी किए गए अनुदंशों या आदेशों के अनुसार अन्म फिस्ट्रे वर्गों के प्रवर्ग की बाबत शिशित करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातिगी/अनुसूचित जनजातियों के अग्यिशियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिशित करके तक (सरकारी सेवकों के लिए शिशित करके ता वर्ष तक की जा सकती है।) अग्युसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह भ्रांतेम तारीख होगी जिस तक रेजगार कार्यातयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
5	लागू नहीं होता
4	2550-55- 2660-60 · 3200/ - क
3	साघारण केन्द्रीय भेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसत्पिवीय
2	2* (2000) *कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
-	10. चपरासी

	To the second se	
6	लागू मही होता	The second secon
8	केन्द्रीय सस्कार या सन्य सस्कार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बोर्ड सं 8वां स्तर उतीर्ण या इसके समतुत्य और अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता हो ।	The state of the s

11	12
रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीघी भरी द्वारा ।	लागू नहीं होता

GAZ	SIIE	OF IN	DIA . I	EXIRA	OIL
14	लागू नहीं होता			,	
13	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) 1 जग विकास अगम्बन	उन निर्यात प्राप्तेत्रका, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन गमान्यनिक अधिकास	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सहायक ।वकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	
	मह 'ग' विक	मद्रास नि			
L	HZ 4	<u> </u>	N (က် ———	

1	चि । ,
9	18 और 25 वर्ष कं बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के अम्यार्थियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयो/सैनिक कल्याण कार्यालयों से नाम मेजने के लिए कहा गया है।
5	लागु नहीं होता
4	2550-55- 2660-60- 3200/ - रू.
3	11. सुब्हा गारद 33* (2000) साघारण कंन्द्रीय संवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसविवीय के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
2	33* (2000) *कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
•	11. मुद्धा गारद

10	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए	्रो पूर्व																	-			
6	गुर्ही																					
8	आवश्यकः-	ग्ताप्राप्त संस्था से 8वां स्तर परीक्षा	समत्त्य ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सिपाही के रूप में या	समतुलय श्रेणियों में सेवा की है और किसी मान्यताप्राप्त	संस्था से पांचवे स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है।	न्यूनतम् शारीरिक मानः-	पुरुष:- (क) उंचाई : 165 सेमी.	(ख) सीना : न्यूनतम 78.75 सेमी	फुलाकर 83.75 सेमी.	(ग) भार : 50 किया.	(घ) दृष्टि : चश्मा के साथ और बिना चश्मे के	बिनर सामान्य हो	महिलाएं- (क) उंचाई : 153 सेमी. से कम न हो	(ख) सीना : लागू नहीं होता	(ग) भार : उंचाई के अनुपात में	(घ) दृष्टि : चश्मा के साथ और चश्मे के बिना	सामान्य हो ।	टिप्पण:- अभ्यर्थी के पैर अंतीजानु या सपाट पैर होने	चाहिए।	वांछनीय:- अग्निशमन संक्रिया का अनुभव ।		

11	12
राज्य के रोजगार कार्यालय/सैनिक	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन-सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक
कल्याण कार्यालय के माध्यम से सीधी	वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानानतरित किए जाने वाले हैं ओर
भर्ती द्वारा ।	जिनके पास में विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख
भूतपूर्व सैनिकों के लिए:	तक प्रतिनियुक्तित के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उनहें सशस्त्र बल से निर्मुक्त
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें युनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

14	लागू नहीं होता							
	पुष्टि के सबध में)		अध्यक्ष		सदस्य		सदस्य	
13	सामाते (उप विकास आयुक्त,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	प्रशासनिक अधिकारी,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सुरक्षा अधिकारी,	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	
	446	-:		7		က်		

[फा.सं.ए-6/1/2000/ई.पी.जैड.] के. के. विजयन, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2000

- G.S.R. 737(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in partial supersession of the Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts- Security) Recruitment Rules, 1991 and Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and 'D' posts in the Madras Export Processing Zone, Madras, under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely:-
 - 2. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2000.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application These rules shall apply to the posts specified in column [1] of the Schedule annexed to these rules.
 - 3. Number of posts, classification and scale of pay The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns [2] to [4] of the aforesaid Schedule.
 - 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matter relating thereto shall be as specified in columns [5] to [14] of the aforesaid Schedule.
 - 5. **Disqualification -** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax,** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving, Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Assistant * Subject to variation dependent	7* (2000)	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.5000- 150-8000	Not applicable	Between 20 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	(i) Degree from a recognised University or equivalent;	Age: No.	Two years for direct recruits.
	(ii) knowledge in word processing; and	qualifications: Yes.	
	(iii) possessing a minium speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting.		
	Note: Physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the		
	Medical Board attached to the Staff Selection Commission for handicapped or a Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a condition to type.		

Method of In case of recruitment by promotion/ If a Departmental Circumstances deputation/absorption, grades from which Promotion in which recruitment: Committee exists. whether by direct promotion/deputation/absorption to be Union Public what is its Service recruitment or by made. composition? promotion or by Commission to be consulted deputation/ in making absorption and recruitment. percentage of the posts to be filled by various methods. [14] [11] [12] [13] 71 percent by Group 'C' Depart-Not Promotion: promotion and Departmental Upper Division Clerks in the mental Promotion applicable. 29 percent by pay scale of Rs.4000-6000 with eight years' Committee (for direct recruitment regular service in the grade and having knowledge promotion): through Staff in word processing. 1. Development Commissioner, Madras Selection Commission. Deputation: **Export Processing** Officers in the Central Government: Zone - Chairman. failing which by deputation. (a) (i) holding analogous post on regular basis: or 2. Deputy Development (ii) with three years' regular service in the post Commissioner, Madras in the pay scale of Rs.4500-7000; or **Export Processing** Zone - Member. (iii) with eight years' regular service as Upper Division Clerk in the pay scale of Rs.4000-3. Administrative Officer. 6000: Madras Export Processing (b) possessing the educational and other qualifica-Zone - Member.

tions prescribed for direct recruits under column (8).

[13]

[14]

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2. Senior Stenographer.	2* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.5000- 150- 8000	Selection- cum- seniority.	Not appli- cable.	Not appli- cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli- cable.

^{*} Subject to variation dependent on workload.

[11] [12] [13] [14] Group 'C' Depart-Not By promotion Promotion: failing which mental Promotion applicable. by deputation. Departmental Junior Stenographers in the pay Committee: scale of Rs. 4000-6000 with eight years' regular service in the grade and having knowledge in 1. Development Commissioner, Madras word processing. **Export Processing** Deputation: Zone - Chairman. Officers in the Central Government holding: 2. Deputy Development (a) (i) analogous posts on regular basis; or Commissioner, Madras (ii) with three years' regular service in the post of **Export Processing** Stenographer in the pay scale of Rs. 4500-7000; or Zone - Member. (iii) with eight years' regular service in the post of 3. Administrative Officer. Stenographer in the pay scale of Rs.4000-6000; and Madras Export (b) possessing a speed of 100 words per minute in Processig Zone -English Shorthand and 40 words per minute in English Member. typewriting; and (c) knowledge in word processing. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately this appointment in the same or some other

Organisation/Department of the Central Government

shall ordinarily not exceed three years).

[भाग II—खण्ड 3(i)]

[1]	[Ź]	[3]	[4]	[5]	[6]
3. Junior Hindi Translator	1 ´ (2000).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.4500- 125-7000	Not applicable	Upto 28 years. (Upto 31 years in respect of Other Backward Classes and upto 33 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of James and Kashmir State. Labard and Spiti district and Bangi and
* Subject to variation deper	ndent				of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

VARY
[PART II—SEC 3(1)]

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	 (a) Master's Degree of recognised university in Hindi/ English with English/ Hindi as a main subject at Degree level; or 	Not applicable.	Two years for direct recruits.
	(b) Master's Degree of a recognised university in any subject with Hindi as a medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at the Degree level; or		
	(c) Bachelor's Degree with Hindi and English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma / Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices including Government of India undertakings; and		
	(d) knowledge in word processing and use o Hindi software.	f	

[11]	[12]	[13]	[14]
By deputation	Deputation:	Not applicable.	Not
failing which direct recruitment	Officers in the Central Government holding : (a) (i) analogous posts on regular basis; or		applicable.
through Staff			
Selection	(ii) posts in the pay scale of Rs.4000-6000 with		
Commission.	five years' regular service in the grade; or		

(iii) posts in the pay scale of Rs.3050-4590 with thirteen years' or regular service in the grade; and

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

			·		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4. Junior Stenographer.	5* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted	Rs.4000- 100-6000.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes candidates and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government Servants upto 40 years of age).
* Subject to variation dependent	dent	Ministerial.			Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkım, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable	(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent;	Age: No.	Two years for direct recruits.
	(ii) possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand and 30 words per minute in English Typewriting; and	Educational qualifications: Yes.	
	(iii) knowledge in word processing.		

[12]

[13]

[14]

60 percent by promotion and 40 percent by deputation/absorption, failing both by direct recruitment through Staff Selection Commission.

Promotion:

Departmental Lower Division Clerks/Hindi Typist in the pay scale of Rs.3050-4590 with eight years' regular service in the grade and possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand, 30 words 1. Deputy Development per minute in English Typewriting and having knowledge in word processing. Deputation/Absorption:

Officers in the Central Government:

- I. (a)(i) holding an analogous post on regular basis; or Madras Export Processing
- (ii) Lower Division Clerks in the pay scale of Rs.3050-4590 with eight years' regular service in the grade; and possessing a speed of 80 words per
- (b) possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand, 30 words per minute in English Typewriting; and
 - (c) knowledge in word processing.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion):

- Commissioner, Madras **Export Processing**
- Zone Chairman.
- 2. Administrative Officer.
- Zone Member.
- 3. Assistant Development Commissioner, Madras **Export Processing**

Zone - Member.

Not Applicable.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
5. Upper Division Clerk	5* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.4000- 100- 6000	Selection- cum- seniority.	Not appli- cable.	Not appli- cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli- cable.

^{*} Subject to variation dependent on workload.

[11] [12] [13] [14] By promotion. **Promotion:** Group 'C' Depart-Not mental Promotion applicable. Departmental Lower Division Clerks in the pay Committee (for scale of Rs. 3050-4590 with eight years regular promotion): 1. Deputy Development service in the grade and having knowledge in word processing. Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export **Processintg Zone** - Member. 3. Assistant Development Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Member.

[1]	[2]	[3]	·[4]	[5]	[6]
6. Head Security Guard.	4* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-	Rs.4000- 100-6000.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 30 years and for Ex-Servicemen as per Rules). Note:- The crucial date for determining the age limit in each case shall be
		Gazetted, Non- Ministerial.			the last date upto which the Employment Exchange/Sainik Welfare Offices of the State are asked to submit their names.

^{*} Subject to variation dependent on workload.

[7] [8] [9] [10] Not applicable. Essential: No. Two years for direct recruits. Intermediate or equivalent examination from a recognised Board/University, or Ex-servicemen with a minium with VIII standard pass. Minimum physical standards: Men: (a) Height: 165 cms. Minimum 78.75 cms. (b) Chest: Expanded: 83.75 cms. 50 Kgs. (c) Weight: (d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses. Women: Not less than 153 cms. (a) Height: (b) Chest: Not applicable. Weight: Proportionate to height. (c) Eye sight: Normal with or without wearing glasses. Note: Candidates should not have knockknee or flat foot. Desirable: Experience in fire fighting operations.

By promotion failing which by direct recruitment through Employment Exchange/ Sainik Welfare Offices of the State.

For Ex-servicemen Peputation/

re-employment.

[11] [12]

[13]

1. Deputy Development

[14]

Promotion:

Departmental Security Guards with 16 years' of regular service in the grade.

Deputation/Re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year having requisite experience and qualifications prescribed under column (8) shall also considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Froces, thereafter they may be continued on re-employment.

Group 'C' Departmental Promotion Committee:

Not applicable.

Commissioner, Madras
Export Processing
Zone - Chairman.
2. Administrative Officer,
Madras Export Processing
Zone - Member.
3. Secuirty Officer,
Madras Export Processing
Zone - Member.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7. Lower Division (2) Clerk * Subject to variation dependent on workload	5* 2000)	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted Ministerial.	Rs.3050- 75-3950- 80-4590	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent;	No.	Two years for direct recruits.
	(ii) possessing a speed of 30 words per minute in English Typewriting; and		
	(iii) knowledge in word processing.		
	Note: A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post, but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board		
	attached to the Special Exchange for handicapped or a Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to type.		

[11] [12] [13] [14] Not 80 percent by Promotion: Group 'C' Departmental Promotion applicable. direct recruitment Departmental Duplicating Operator and Peons through Staff (Group 'D'), subject to the following conditions:-Committee: Selection (a) Selection shall be made through Departmental 1. Deputy Development

Commissiion and 20 percent by promotion.

- examination conducted for such Group 'D' employees who fulfil the minimum qualifications specified in column (8).
- (b) Maximum age for the departmental examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates).
- (c) Combined regular service of 8 years' in the posts of Duplicating Operator and Peon is essential.

Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Chairman.

2. Administrative Officer **Madras Export Processing**

Zone - Member.

3. Assistant Development Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Member.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8. Hindi Typist.	1* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-	Rs.3050- 75-3950- 80-4590	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age).
* Subject to variation depen on workload.	ıdent	Gazetted, Ministerial.			Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

		7.25
	١	Ξ
1	1	Ī
		250
		' د ِ
1	ľ	Ξ

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent;	Age: No	Two years for direct recruits.
	(ii) possessing a speed of 25 words per minute in Hindi Typewriting; and	Educational qualifications: Yes	
	(iii) knowledge in word processing.		

[11] [12] [13] [14] Promotion: Not By direct Group 'C' Depart-Departmental Duplicating Operator and Peons mental Promotion recruitment through applicable. Staff Selection (Group 'D'), subject to the following conditions:-Committee: Commission failing which by promotion. (a) Selection shall be made through Departmental 1. Deputy Development examination conducted for such Group 'D' employees Commissioner, Madras who fulfil the minimum qualifications specified in **Export Processing** Zone - Chairman. column (8). (b) Maximum age for the departmental 2. Administrative Officer examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Madres Export Processing Caste/Scheduled Tribe candidates). Zone - Member. (c) Combined regular service of 8 years' in the 3. Assistant Development posts of Duplicating Operator and Peon is essential. Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Member.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9. Duplicating Operator.	1* (2000).	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.2650- 65-3300- 70-4000.	Selection- cum- Seniority.	Not applicable.

^{*} Subject to variation dependent on workload.

` [7]	[8]	[9]	[10]	
lot applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	
			•	
			•	

[11] [12] [13] [14]

By promotion.

Promotion:

Departmental Peons with four years's regular service in the pay scale of Rs. 2550-3200 in the grade, having proficiency in operating and maintaining duplicating machine, electronic stencil cutter, photo-copier, fax machines and ability to read English.

Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion):

- 1. Deputy Development Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development
- Commissioner, Madras **Export Processing** Zone - Member.

Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10. Peon.	2* (2000).	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted.	Rs.2550- 55-2660- 60-3200.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes category, upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age).
		Ministerial.			Note: The crucial age date for determining the age limit will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names

^{*} Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	A pass in 8th Standard or its equivalent from a Board recognised by the Central or State Government and having ability to read English.	Not applicable.	Two years.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11. Security Guard.	39* (2000).	General Central Service, Group 'D' Non- Gazetted, Non-	Rs.2550- 55-2660- 60-3200.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. [Relaxable for Government servants upto 30 years of age]. Note:- The crucial date for determining the age limit in each case shall be
		Ministerial.			the last date upto which the Employment Exchange/Sainik Welfare Offices of the State are asked to submit the names.

^{*} Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]	[भाग II—खण्ड 3(i)]
Not applicable.	Essential: VIII Standard pass or equivalent examination of a recognised institution. Ex-servicemen who have served as Sepoy or equivalent grades and have passed V Standard examination of a recognised institution.	No.	Two years for direct recruits.)]
	Minimum physical standards: Men: (a) Height: 165 cms. (b) Chest: Minimum 78.75 cms. Expanded: 83.75 cms. (c) Weight: 50 Kgs. (d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses. Women: (a) Height: Not less than 153 cms. (b) Chest: Not applicable. (c) Weight: Proportionate to height. (d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses.			भारत का राजपत्र : असाधारण
	Note: Candidates should not have knock-knee or flat foot. Desirable: Experience in fire fighting operations.			63

[11]	[12]	[13]	[14]
By direct recruitment through Employment Exchange/ Sainik Welfare Offices of the State. For Ex-Servicemen: Deputation/ Re-employment.	The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which	Group 'D' Depart- mental Promotion Committee (for Confirmation: 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processinty Zone - Member. 3. Security Officer, Madras Export Processing Zone - Member.	Not applicable.

[F. No. A-6/1/2000/EPZ] K. K. VIJAYAN, Dy. Secy.